[redacted]

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0082 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 04/04/2025 15:49 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 18/11/2024 **Date To (दिनांक तक):** 24/11/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:00 बजे **Time To (समय तक):** 19:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 04/04/2025 **Time (समय):** 11:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 04/04/2025 15:49:29 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 150 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** NAHAR COLONY MOHANGARH, JILA JAISALMER

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** DWARKESH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** DALARAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1994 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	PABADO KI DHANI KAPOORDI, BARMER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	PABADO KI DHANI KAPOORDI, BARMER, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SANTOSH KUMAR		पिता:BUNDELA	1. GRAM JALSAR,POST DEERA,हलसी,लखी सराय ,बिहार, INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		60,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** **(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 60,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)** **(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो- बाड़मेर विषय- रिश्वत लेते हुवे रंगे हाथों पकडवाने बाबत। महोदयजी, मुझे प्राथी द्वारकेश पुत्र दलाराम जाती जाट निवसी पाबडो कि ढाणी कपुरडी जिला बाडमेर का इस प्रकार निवेदन है कि मेरी पत्नी रम्भादेवी व मेरे सगे भाई रमेश, विरमाराम व मेरी सगी भभी मिनाक्षी W/O बाबूलाल के नाम से 8 सीएचएम मोहनगढ मे मुरब्बे आये हुवे है जिनमें सरकारी योजना के तहत नहर परियोजना विभाग द्वारा निःशुल्क डिग्गी का निमार्ण करवाया जाता हैं हमारी चारों फाईले निःशुल्क डिग्गी निर्माण हेतु तैयार करवाकर इन्दिरा गांधी नहर परियोजना विभाग के JEN सन्तोषकुमार जी से मिला तो JEN साहब ने फाईलें देखकर बताया कि आपकी फाईले अपूर्ण है जो पटवारी व ई मित्र से पूर्ण करवाकर लेकर आ जाओ मैं तुम्हारी डिग्गीयां स्वीकृत करवाकर मौके पर निर्मार्ण करवा दूंगा, जिस पर मैंने कहा कि हमें सियालु फसल लेणी है इसलिय साहब आप जल्दी डिग्गियां बनाने की कार्यवाही कराना, जिस पर जे.ई.एन. साहब ने कहा कि जल्दी डिग्गियां बनानी हैं तो आपको खर्चा पाणी के प्रत्येक डिग्गी के 15,000/-रुपये के हिसाब से चार फाईलों के 60,000 रू. देने पडेगे, जिस पर जे.ई.एन. के कहेनुसार पत्रावलियों की पूर्ति कर पानी की बारी के शुल्क अदायगी की एन.ओ.सी. प्राप्त करने हेतु हल्के के सिंचाई पटवारी श्री दौलाराम को कुछ दिन पहले चारों पत्रावलियां दी, किन्तु पटवारी ने एन.ओ.सी. नहीं दी, जिस पर मैं दुबारा संतोष जी जे.ई.एन. से मिला व हालात बताये तो उन्होनें मुझे कहा कि पटवारी एन.ओ.सी. नहीं दे रहा हैं तो कोई बात नहीं हैं आप पानी की बारी के पैसे जमा कराने की रसीद पत्रावली में लगाकर ले आओ मैं इसके आधार पर अपने आप एन.ओ.सी. ले लूंगा, आप बिना एन.ओ.सी. ही पटवारी से पत्रावलियां लेकर मेरे पास लेकर आ जाओ, आप मेरे कहेनुसार खर्चा-पानी कर देना, मैं आपके डिग्गियां बना दूंगा। अब पटवारी दौलाराम से पत्रावलियां प्राप्त कर उसमें पानी की बारी के पैसे जमा कराने की रसीदें लगाकर श्री संतोषकुमार जे.ई.एन. को देने जाऊंगा तो वो मेरे से प्रत्येक डिग्गी के 15,000/- रुपये के हिसाब से 60,000/- रुपये रिश्वत की मांग करेगा, जबकि मैं मेरे वैद्य कार्य कराने की ऐवज में श्री सन्तोष कुमार जे.ई.एन. को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं, मैं उसे रिश्वत लेते हुवे रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ. मेरे व जे.ई.एन. साहब के बीच मैं न तो पुराना कोई लेन-देन बकाया हैं और न ही कोई रंजिश हैं। अतः रिपोर्ट कार्यवाही हेतु पेश हैं। दिनांक 18.11.2024 -एस.डी.- गवाह श्री ऋषिकेश मीणा कनिष्ठ वाणिज्य कर सहायक/12.12.24 -एस.डी.- गवाह श्री भूपेन्द्रसिंह कनिष्ठ वाणिज्य कर सहायक/12.12.2024 -एस.डी.- नरेन्द्रकुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर, -एस.डी.- प्रार्थी द्वारकेश द्वारकेश पुत्र श्री दलाराम, जाति जाट, उम्र 31 वर्ष, पैशा खेती-बाड़ी, निवासी पाबड़ो की ढाणी कपूरड़ी, जिला व तहसील बाड़मेर, मोबाईल नं. [redacted] कार्यवाही पुलिस निवेदन हैं कि उपरोक्त हस्तलिखित रिपोर्ट दिनांक 18.11.2024 वक्त 11.00 ए.एम. पर परिवादी श्री द्वारकेश पुत्र श्री दलाराम, जाति जाट, उम्र 31 वर्ष, पैशा खेती-बाड़ी, निवासी पाबड़ो की ढाणी कपूरड़ी, जिला व तहसील बाड़मेर ने कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बाडमेर पर उपस्थित होकर मन् नरेन्द्रकुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष मय संलग्न स्व-प्रमाणित आधार कार्ड प्रति के पेश कर रिपोर्ट स्वयं की हस्तलिखित होकर इस पर अपने स्व-कलमी हस्ताक्षरित कर पेश करना व रिपोर्ट में उल्लेखित समस्त तथ्य सही होना जाहिर किया। परिवादी की रिपोर्ट एवं तकरीरन दरियाफ्त से मामला लोक सेवक द्वारा वैध कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टिया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आने से इस पर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रारंभ करते हुए प्रथमतः रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया जाकर कार्यालय मालखाना से एच.एम. श्री सुराब हैड कानि. नं. 97 द्वारा निर्देशानुसार डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किया, जिन्हें ऑपरेट करने बाबत् हाजिर परिवादी श्री द्वारकेश से समझाईश की जाकर कार्यालय हाजा के श्री मिश्रीमल हैड कानि. नं. 38 को कार्यालय कक्ष में तलब कर परिवादी से परस्पर परिचय करवाकर इनके मोबाईल नंबरों का परस्पर आदान-प्रदान करवाया गया। परिवादी की रिपोर्ट पर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को ऑपरेट करने बाबत् एक बार पुनः परिवादी व श्री मिश्रीमल हैड कानि. को समझाईस की गई। ताबाद श्री मिश्रीमल हैड कानि. को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय इंस्ट्राल सुदा मेमोरी कार्ड के रिश्वती राशि मांग सत्यापन हेतु परिवादी श्री द्वारकेश के साथ मोहनगढ जाने हेतु निर्देशित किया गया कि इस दौरान परिवादी श्री द्वारकेश ने बताया कि मैंने अभी पता करवाया हैं पटवारी श्री दौलाराम मोहनगढ में नहीं हैं, कहीं बाहर गये हुए हैं, मेरी चारों फाईलें पटवारी के पास हैं, जिनसे प्राप्त कर उसमें जे.ई.एन. साहब के

कहेनुसार पानी की बारी का शुल्क जमा कराने की रसीदें लगाकर जे.ई.एन. साहब को देनी हैं, पटवारी दो-तीन दिन बाहर रहेगा, इसलिए पत्रावलियां नहीं मिलेगी, जबकि पत्रावलियां देने हेतु ही जे.ई.एन. साहब से मिलना, इसलिए बिना पत्रावलियां उनसे मिलने का कोई मतलब नहीं हैं, जिस पर परिवादी को पटवारी से पत्रावलियां प्राप्त कर आईन्दा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या श्री मिश्रीमल हैड कानि. को अवगत कराने हेतु मुनासिब हिदायत कर फॉरिक किया गया। श्री मिश्रीमल हैड कानि. को परिवादी के लगातार सम्पर्क में रहने एंव परिवादी द्वारा पटवारी से पत्रावलियां प्राप्त करने की सूचना पर अग्रिम मांग सत्यापन कार्यवाही कराने हेतु एक बार पुनः निर्देशित किया गया। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड पुनः कार्यालय मालखाना में सुरक्षित रखवाये गये। दिनाँक 21.11.2024 को प्रातः श्री मिश्रीमल हैड कानि. ने कार्यालय कक्ष में आकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि अभी कुछ देर पहले मेरे पास परिवादी श्री द्वारकेश ने वॉट्सएप कॉल कर बताया कि मैंने मेरे भतीज मगराज को पटवारी श्री दौलाराम के पास भेजकर फाईलों में कुछ पूर्ति कर लाने के बहाने से बिना एन.ओ.सी. ही पत्रावलियां प्राप्त कर ली हैं, अब इसमें पानी की बारी का शुल्क जमा कराने की रसीदें लगाकर श्री संतोषकुमार जेईएन को देने हेतु जाना हैं, आप आ जाओ मैं मोहनगढ में ही मिलूंगा। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय मालखाना से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मंगवाकर एक बार पुनः श्री मिश्रीमल हैड कानि. को इन्हें ऑपरेट करने की विधि बाबत् समझाईश की जाकर इसे डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय इंस्ट्राल सुदा मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर परिवादी श्री द्वारकेश से सम्पर्क कर उसकी आरोपी श्री संतोषकुमार जे.ई.एन. इंदिरा गांधी नहर परियोजना मोहनगढ, जिला जैसलमेर से रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता करवाकर रिकॉर्ड कर लाने हेतु मुनासिब हिदायत कर रवाना मोहनगढ भेजा गया किन्तु दिनांक 22 व 23 दिसम्बर/2024 को आरोपित कनिष्ट अभियन्ता के मोहनगढ से बाहर होने से रिश्वती राशि मांग सत्यापन नहीं करवाया जा सका। दिनांक 24.11.2024 को श्री मिश्रीमल हैड कानि. द्वारा रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया एंव निर्देशानुसार परिवादी श्री द्वारकेश को मोहनगढ से ही फॉरिक कर दिनांक 25.12.2024 को दोपहर में मोहनगढ से रवाना सुदा चौकी हाजा पर उपस्थित आया व डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर स्वीच ऑफ सुदा पेश कर बताया कि निर्देशानुसार दिनांक 21.11.2024 को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय इंस्ट्राल सुदा मेमोरी कार्ड को साथ लेकर चौकी हाजा से रवाना सुदा सांय के समय मोहनगढ पंहुचा, जहां पूर्व निर्धारित स्थान पर पाबन्द सुदा परिवादी श्री द्वारकेश मय अपनी चारों पत्रावलियों के उपस्थित मिला, जिसने बताया कि आरोपी श्री संतोषकुमार जे.ई.एन. का मैंने मेरे स्तर पर मालुमात करवाया तो वो किसी शादी में सम्मलित होने हेतु बाड़मेर की तरफ गया हुआ हैं, यहां मोहनगढ में नहीं हैं, जिस पर इस बाबत् श्रीमान को अवगत करवाया। दिनांक 22.11.2024 को भी आरोपी बाहर रहा, इस दौरान परिवादी ने तहसील कार्यालय से भूमि प्रमाण पत्र प्राप्त कर फाईलों में लगाये व अन्य कमी पूर्ति करवाई। दिनांक 23.11.2024 को भी आरोपी बाहर ही रहा। जिस पर दिनांक 24.11.2024 को परिवादी ने आरोपी श्री संतोषकुमार से वॉट्सऐप कॉल से सम्पर्क कर फाईलें तैयार होने व मिलने बाबत् वार्ता की तो उसने बताया कि फाईलें तैयार हो गई हो तो कार्यालय में श्री सुभाष जे.ई.एन. को दे देना, मैं बाहर हूं शाम को वापस मोहनगढ आऊंगा, तब आप मेरे क्वार्टर पर मिलने हेतु आ जाना, जिस पर परिवादी ने आरोपी के कार्यालय में जाकर चारों पत्रावलियां उनके कहेनुसार श्री सुभाष जे.ई.एन. को दे दी, जिसने फाईलें देखकर बताया कि इसमें पानी की बारी का शुल्क जमा कराने की रसीदें लगी हुई नहीं हैं, आप वो रसीदें लेकर आओ, जिस पर परिवादी ने श्री सुभाष जे.ई.एन. को कहा कि मेरी श्री संतोषकुमार जे.ई.एन. से बात हो गई हैं, मैं शाम को संतोष जी को ये रसीदें दे दूंगा, तब श्री सुभाष कुमार जे.ई.एन. ने परिवादी की पत्रावलियां प्राप्त कर कार्यालय में रख ली। शाम के समय आरोपी श्री संतोषकुमार कनिष्ट अभियन्ता के वापस मोहनगढ में अपनी ऑफिस में आने की जानकारी मिलने पर मैं व परिवादी श्री द्वारकेश परिवादी की निजी मोटर साईकिल से आरोपी के कार्यालय के पास पंहुचे, जहां मैंने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय इंस्ट्राल सुदा मेमोरी कार्ड के ऑन कर परिवादी को सुपुर्द कर पानी की बारी का शुल्क जमा कराने की रसीदों के साथ उनकी निजी मोटर साईकिल से आरोपी के राजकीय कर्यालय की तरफ रवाना किया एंव मैं वहीं आस-पास अपनी उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी की वापसी के इन्तजार में व्यस्त रहा। करीबन 20-25 मिनट बाद परिवादी मेरे पास पूर्व निर्धारित स्थान पर आया, जिनसे मैंने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर अपनी स्वयं की सुरक्षित अभिरक्षा में लिया एंव तत्पश्चात पूछने पर परिवादी ने बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर आरोपी के कार्यालय में गया तो वहां श्री सुभाष जे.ई.एन. मिला, जिनसे मैंने आरोपी श्री संतोषकुमार के बारे में पूछा तो उसने मोबाईल से कॉल कर आरोपित जे.ई.एन. के बात की व मुझे कहा कि वो अपने क्वार्टर पर हैं, जिस पर मैंने उसे कहा कि क्वार्टर कहां हैं, तो उसने क्वार्टर की लोकेशन बताई व वहां से पैदल ही मेरे साथ आरोपी श्री संतोषकुमार के क्वार्टर चला एंव आवास की बावण्डरी में प्रवेश कर सुभाष जेईएन मोबाईल कॉल कर आरोपी श्री संतोषकुमार को उसके क्वार्टर से बाहर बुलाया, जिस पर आरोपी क्वार्टर से बाहर आया व मुझे मिला, इस दौरान श्री सुभाष जेईएन वापस ऑफिस की तरफ निकल गये, मैंने आरोपित जेईएन से बात कर फाईलें उनके कहेनुसार सुभाष जेईएन को देने की बात बताई व पानी की बारी का शुल्क जमा कराने की रसीदें श्री संतोषकुमार को सुपुर्द की, वार्ता के दोरान संतोषकुमार जेईएन ने प्रति फाईल यानि कि प्रति डिग्गी 15000 रू. के हिसाब से कुल 60,000 रू. रिश्वती राशि की मांग की, व मुझे कहा कि ठेकेदार के फ्री होते ही आपके मौके पर आकर जियोटेकिंग कर डिग्गियां बनाने का काम शुरू करवा दूंगा, आप मुझे 60,000 रू. दे देना, फिर उसने कहा कि मैं

ठेकेदार की कोशिश करूंगा कोई सैट हो जाये तो आपका काम जल्दी करवा दूंगा, जियो टेकिंग के लिए मौके पर आऊंगा उस समय 60,000 रू. तैयार रखने का कहा हैं। जिस पर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को ऑन कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा इसमें रिकॉर्डिंग रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो सत्यापनकर्ता श्री मिश्रीमल हैड कानि. द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद होते हुए आरोपी श्री संतोषकुमार कनिष्ट अभियन्ता द्वारा परिवादी श्री द्वारकेश से प्रति डिग्गी 15000 रू. की दर से कुल 60,000 रू. रिश्वती राशि की मांग करने की पुष्टि होना पाया गया। जिस पर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय इन्सट्रॉल सुदा मेमोरी कार्ड को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्वयं की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया। उक्त रिकॉर्डिंग वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट् मुर्तिब करने तथा आरोपित के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही आयोजन का निर्णय लिया गया। हालात उच्च अफसरान को निवेदन किये गये। श्री मिश्रीमल हैड कानि. को परिवादी श्री द्वारकेश के सत्त सम्पर्क में रहने, आरोपी द्वारा जियो टेकिंग हेतु मौके पर आने की सूचना मिलने पर अविलम्ब अवगत कराने एंव आरोपी द्वारा मांगी गई रिश्वती राशि 60,000 रू. की व्यवस्था हेतु परिवादी को पाबन्द करने बाबत् भी निर्देशित किया गया। दिनांक 10.12.2024 का सांय के समय श्री मिश्रीमल हैड कानि. नं. 38 ने कार्यालय कक्ष में आकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि अभी कुछ समय पहले मेरे पास परिवादी श्री द्वारकेश ने वॉट्सऐप कॉल कर बताया कि आरोपी श्री संतोषकुमार ने मेरे एक मिलने वाले के साथ समाचार भेजकर मुझे अपने पास बुलाया हैं, क्या करूं, जिस पर मैंने उसे अविलम्ब चौकी हाजा पर उपस्थित होने हेतु कहा हैं, जो आज मोहनगढ में अपने मुरब्बों पर हैं, कल प्रातः चौकी हाजा पर उपस्थित आ जायेगा, जिस पर श्री मिश्रीमल हैड कानि. को परिवादी के सम्पर्क में रहने की हिदायत की जाकर परिवादी की उपस्थिति पर अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जाने का निर्णय लिया गया। दिनांक 11.12.2024 को दोपहर के समय पूर्व पाबन्द सुदा परिवादी श्री द्वारकेश ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया व बताया कि आरोपी श्री सन्तोषकुमार ने मेरे एक मिलने वाले के साथ समाचार भेजकर मुझे बुलाया हैं, जिस पर चूंकि पूर्व में रिश्वती राशि का लेन-देन आरोपी के जियो टेकिंग हेतु मौके पर आने व इस बाबत् आरोपी द्वारा पूर्व सूचना देने पर होना तय हुआ था, लिहाजा परिवादी के मोबाईल से आरोपी के मोबाईल पर वार्ता करवाकर लेन-देन बाबत् समय तय करवाने का निर्णय लिया आरोपी श्री संतोषकुमार के मोबाईल नंबर [redacted] पर परिवादी श्री द्वारकेश के मोबाईल नंबर [redacted] से सामान्य कॉल करवाया गया किन्तु आरोपी द्वारा कॉल अटेण्ड नहीं किया गया, कुछ समय बाद आरोपी द्वारा परिवादी के मोबाईल पर उपरोक्त वर्णित नंबरो से रिटर्न कॉल किया जाने पर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय इन्सट्रॉल सुदा मेमोरी कॉर्ड के ऑन कर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर वार्ता करवाई गई तो वार्ता के दौरान आरोपी ने परिवादी से कहा कि आप कल मेरे पास आ जाओ, मैं ठेकेदार को बोल दूंगा, ठेकेदार से मिला दूंगा, एक बार वो फ्री रहेगा तो देख लेगा साईड, जिस पर परिवादी ने कहा कि अभी तो मैं बाड़मेर हूं कल तीन बजे तक पंहुच पाऊंगा, जिस पर आरोपी ने कहा कि कल तीन बजे आकर फोन कर देना, मैं मिल जाऊंगा। उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट बनाने का निर्णय लिया जाकर दूसरे दिन दिनांक 12.12.2024 को आरोपी के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही आयोजन का निर्णय लिया जाकर आरोपी श्री संतोषकुमार कनिष्ट अभियन्ता को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 60,000 रू. की व्यवस्था कर दिनांक 12.12.2024 को प्रातः 08.30 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने हेतु परिवादी श्री द्वारकेश को पाबन्द कर फॉरिक किया गया। तत्पश्चात प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से वाणिज्यिक कर अधिकारी बाडमेर के नाम तेहरीर मुर्तिब कर श्री कंवराराम कानि. नं. 37 के माध्यम से दो स्वतन्त्र गवाहान श्री भूपेन्द्रसिंह कनिष्ट वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत बी बाड़मेर व श्री ऋषिकेश मीणा कनिष्ट वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत बी बाड़मेर को मामुर करवाकर इन्हें दूसरे दिन दिनांक 12.12.2024 को प्रातः 08ः30 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आने हेतु पाबन्द करवाया गया। श्री सुराब खां हैड कानि. के माध्यम से कार्यालय स्टाफ को भी उक्तानुसार ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आने हेतु निर्देशित करवाया गया। दिनांक 12.12.2024 को प्रातः नियत समय पर निर्देशानुसार ब्यूरो स्टाफ एंव दोनों स्वतन्त्र गवाहान ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री द्वारकेश भी उपस्थित आया व आरोपित श्री संतोषकुमार कनिष्ट अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना मोहनगढ, जिला जैसलमेर को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वती राशि 20,000 रू. साथ में लेकर आना बताया, व यह भी बताया कि काफी कोशिशों के बाद मैं इतनी ही राशि की व्यवस्था कर पाया हूं, जबकि आरोपी को 60,000 रू. दिये जाने हैं जिस पर मैंने बाजार से चिल्ड्रन बैंक ऑफ इण्डिया (मनोरंजन बैंक का खजाना) के 500-500 रू. के 80 नोट, कुल राशि 40,000 रू. डमी करेन्सी की व्यवस्था की हैं। जिस पर दोनों गवाहान को ब्यूरो कार्यालय में बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाकर परिचय पूछा तो उन्होंने अपना-अपना परिचय क्रमशः श्री ऋषिकेश मीणा पुत्र श्री रामरूप मीणा, जाति मीणा, उम्र 37 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी ग्राम मोहनपुर, तहसील टोडा भीम, जिला गंगापुर सिटी, हाल कनिष्ट वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत बी बाड़मेर व श्री भूपेन्द्रसिंह पुत्र श्री डालूराम, जाति जाट, उम्र 36 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी चैनाणियों की ढाणी सेवनियाला, तहसील बायतु, जिला बाड़मेर हाल कनिष्ट वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत बी बाड़मेर के रूप में दिया। दोनों स्वतंत्र गवाहान का परिवादी श्री द्वारकेश से परस्पर परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 18.11.2024 को प्रस्तुत हस्तलिखित रिपोर्ट दोनों गवाहान को पढकर सुनाई गई एंव पढने हेतु दी जाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता टेप रिकॉर्डर को ऑन कर सुनाई गई। दोनों गवाहान द्वारा भी हाजिर परिवादी से रिपोर्ट के संबध में पूछताछ

कर बाद तसल्ली के परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने दिनांकित हस्ताक्षर करते हुए इस कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान बनने की मौखिक सहमति दी गई। तत्पश्चात प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही हेतु एक प्राईवेट वाहन की आवश्यकता होने से श्री पवनकुमार कानि. चालक के माध्यम से टैक्सी स्टेण्ड बाडमेर से चालक श्री गंगाराम पुत्र श्री मुकनाराम, निवासी निम्बाणियों की ढाणी, तहसील बायतु, जिला बालोतरा मय प्राईवेट वाहन नं. आर.जे. 04, टीबी 5523 की ब्यूरो कार्यालय पर तलबी करवाकर शामिल ट्रेप दल किया गया। तत्पश्चात रूबरू स्वतन्त्र गवाहान परिवादी श्री द्वारकेश से आरोपी श्री सन्तोषकुमार कनिष्ट अभियन्ता को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 60,000/- रूपये पेश करने का कहने पर परिवादी ने भारतीय मुद्रा 500-500 रूपये के 40 नोट, कुल राशि 20,000 रू. व चिल्ड्रन बैंक ऑफ इण्डिया (मनोरंजन बैंक का खजाना) के 500-500 रू. के 80 नोट प्रत्येक के नंबर- 0AA 000000 रूबरू गवाहान अपनी जेब में से निकाल कर पेश किये, जिस पर परिवादी व गवाहान के रूबरू फर्द पेशकशी एवं सुपुदर्गी रिश्वती राशि एवं दृष्टान्त सोडियम कार्बोनेट व फिनोफ्थलीन पाउडर की क्रिया-प्रतिक्रिया श्री शोभसिंह कानि. नं. 35 से प्रदर्शित करवाई जाकर कार्यवाही का विस्तृत विवरण फर्द पेशकशी भारतीय मुद्रा एवं सुपुर्दगी नोट, दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाऊडर में अंकित कर मुर्तिबा फर्द पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई। उक्त कार्यवाही के बाद मन् नरेन्द्रकुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ब्यूरो जाब्ता श्री मोहम्मद हनीफ ए.एस.आई., श्री सोहनराम हैड कानि. 33, श्री सुराब खां हैड कानि. 97, श्री मिश्रीमल हैड कानि. नं. 38, श्री अनूपसिह हैड कानि. 44, श्री बांकाराम कानि. नं. 584, श्री लालाराम कानि. 328, श्री रघुवीरसिंह कानि. नं. 143, श्री कंवराराम कानि. नं. 37, श्री मनोहर कानि. नं. 39, दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री ऋषिकेश मीणा कनिष्ट वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत बी बाड़मेर व श्री भूपेन्द्रसिंह कनिष्ट वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत बी बाड़मेर एंव परिवादी श्री द्वारकेश के चौकी हाजा के राजकीय वाहन बोलेरों नं. आर.जे. 14 यूसी 9364 चालक श्री पवनकुमार कानि. नं. 478 एवं प्राईवेट वाहन नं. आर.जे. 04, टीबी 5523 मय चालक श्री गंगाराम के प्रकरण हाजा की पत्रावली, डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड, लेपटॉप, प्रिन्टर, टैम्प बॉक्स एवं अन्य आवश्यक सामग्री के ट्रेप कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय बाड़मेर से रवाना होकर कस्बा मोहनगढ स्थित आरोपित के कार्यालय के पास पंहुचा, जहां पहले परिवादी द्वारा अपने स्तर पर आरोपित श्री संतोषकुमार कनिष्ट अभियन्ता की उपस्थिति के बारे में मालुमात किया गया तो आरोपी का ग्राम बाला की तरफ बाहर हल्का क्षेत्र में जाना पाया गया। जिस पर वहां से मय समस्त हमराहियान के रवाना होकर कस्बा मोहनगढ से बाहर गोपनीय स्थान पर मौजूद रहकर आरोपित के मोहनगढ वापसी के इन्तजार में व्यस्त हुआ किन्तु सांय तक आरोपी की वापसी नहीं होने से परिवादी श्री द्वारकेश के माध्यम से एक बार पुनः आरोपित की उपस्थिति के बारे में मालुमात करवाई गई तो आरोपी का मोहनगढ से करीबन 100 कि.मी. दूर हल्का क्षेत्र में होना जानकारी में आया, जिस पर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय इन्सट्रॉल सुदा मेमोरी कॉर्ड के ऑन कर परिवादी के वॉट्सऐप नंबर [redacted] से आरोपित श्री संतोषकुमार के वॉट्सऐप नंबर [redacted] पर कॉल करवाकर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर वार्ता करवाई गई तो वार्ता के दौरान आरोपी ने परिवादी से कहा कि अभी तो बाला की तरफ यानि कि मोहनगढ से करीबन 150 कि.मी. दूर हूं, आज नहीं मिलना होगा, कल प्रातः 10.00 बजे के आस-पास बताता हूं। उक्त वार्ता को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करवाया जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट बनाने का निर्णय लिया गया। उस रोज ट्रेप कार्यवाही नहीं होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय समस्त हमराहियान के रात्रि मुकीम मोहनगढ क्षेत्र में गोपनीय स्थान पर करने का निर्णय लिया जाकर मय हमराहियान के रवाना होकर मोहनगढ क्षेत्र में ही गोपनीय मुकीम स्थल पर पंहुच रात्रि विश्राम हेतु स्टे किया। प्रभारी मालखाना श्री सुराब खां हैड कानि. के माध्यम से परिवादी श्री द्वारकेश के पहनी हुई पैण्ट की दांहिनी जेब में रखवाई गई रिश्वती राशि भारतीय मुद्रा के 500-500 रू. के 40 नोट, कुल राशि 20,000 रू0 तथा चिल्ड्रन बैंक ऑफ इण्डिया (मनोरंजन बैंक का खजाना) के 500-500 रू. के 80 नोट, कुल राशि 40,000 रू. डमी करेन्सी सहित कुल 60,000 रू. प्राप्त कर एक कागज के लिफाफे में रखवाकर ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखवाये जाकर ट्रेप बॉक्स को तालाबन्द करवाया गया। प्रकरण में परिवादी एंव आरोपी के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता एंव इनके बीच परस्पर जरिये मोबाईल हुई लेन-देन पूर्व वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जानी शेष होने से परिवादी श्री द्वारकेश एवं आरोपी श्री संतोषकुमार कनिष्ट अभियन्ता के मध्य दिनांक 24.11.2024 को रूबरू हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता एंव दिनांक 11.12.2024 को वक्त 01.52 पी.एम. पर आरोपी श्री संतोषकुमार के मोबाईल नंबर [redacted] से परिवादी श्री द्वारकेश के मोबाईल नंबर [redacted] पर आए इनकमिंग कॉल पर हुई वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकार्डर में इंस्ट्रॉल मेमोरी कॉर्ड SANDISK 16 GB में रिकॉर्ड सुदा को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी श्री द्वारकेश के सुन-सुन कर शब्द-बशब्द फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री मिश्रीमल हैड कानि. नं. 38 व श्री कंवराराम कानि. नं. 37 के सहयोग से कार्यालय लेपटॉप से मुर्तिब की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो सीडी तैयार कर की गई। वार्ता के मूल मेमोरी कॉर्ड SANDISK 16 GB को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से बाहर निकालकर इसकी हस्ब कायदा हैश वैल्यु प्राप्त कर इसे एक कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर फर्द व थेली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मेमोरी कॉर्ड की सीलयुक्त थेली पर मार्क "डी" अंकित किया गया, एवं दोनों सीडी को डब मानते हुये खुला रखा गया। आरोपी व स्वयं के आवाज की पहचान परिवादी श्री द्वारकेश द्वारा की गई। तत्पश्चात मन्

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय समस्त हमराहियान फॉरिक होकर इसी स्थान पर रात्रि विश्राम किया। दिनांक 13.12.2024 को प्रातः परिवादी के माध्यम से आरोपी श्री संतोषकुमार कनिष्ट अभियन्ता की मौजूदगी के संबध में गोपनीय रूप से मालुमात करवाया गया तो आरोपी का कस्बा मोहनगढ में स्थित अपने राजकीय आवास पर मौजूद होना जानकारी में आया, जिस पर रिश्वती राशि लेन-देन के लिए आरोपी से सम्पर्क करने हेतु परिवादी को आरोपी के राजकीय आवास पर भेजने का निर्णय लिया जाकर श्री सुराब खां हैड कानि. के माध्यम से ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखवाई गई फिनोफ्थलीन पाउडरयुक्त समस्त रिश्वती राशि निकलवाई जाकर परिवादी श्री द्वारकेश के पहनी हुई पैण्ट के दांहिने साईड की जेब में रखवाई जाकर श्री सुराब खां हैड कानि. के दोनों हाथों को साफ पानी व साबुन से तीन-चार बार धुलवाकर उनके हाथों पर फिनोफ्थलीन पाउडर का कोई अंश नहीं रहना सुनिश्चित किया गया तथा फिर भी उन्हें धोवन कार्यवाही तक जाब्ते से अलग प्राईवेट वाहन में ही मौजूद रहने हेतु निर्देशित किया गया। फिर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय समस्त हमराहियान के ट्रेप कार्यवाही हेतु रात्रि मुकीम स्थल से रवाना होकर कस्बा मोहनगढ में पंहुचा, जहां गोपनीय स्थान पर पूर्व से खड़ी परिवादी की मोटर साईकिल प्राप्त कर मय समस्त हमराहियान के रवाना होकर सिंचाई कॉलोनी मोहनगढ में स्थित आरोपी के राजकीय आवास के पास पंहुच परिवादी श्री द्वारकेश को रिश्वती राशि लेन-देन के सम्बन्ध में मुनासिब हिदायत दी जाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय इंस्ट्रॉल सुदा मेमोरी कार्ड के ऑन कर सुपुर्द कर आरोपित श्री संतोषकुमार कनिष्ट अभियन्ता से रिश्वती राशि लेन-देन हेतु उनकी स्वयं की निजी मोटर साईकिल से रवाना आरोपित के राजकीय क्वार्टर की
तरफ किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान वहीं आस-पास अपनी-अपनी मौजूदगी छिपाते हुए परिवादी के गोपनीय ईशारे के इन्तजार में व्यस्त हुआ। कुछ समय बाद परिवादी श्री द्वारकेश बिना कोई ईशारा किये अपनी निजी मोटर साईकिल से ट्रेप दल के पास आया, जिनसे रूबरू मौतबिरान डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ करने लगे तो डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर पूर्व से स्वीच ऑफ होना पाया गया, जिसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वयं की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा, एंव पूछने पर परिवादी ने बताया कि मैं आरोपी के क्वार्टर की बावण्डरी में पंहुचकर मेरी मोटर साईकिल खड़ी कर आरोपी के आवास पर जाकर उसे आवाज देकर बाहर बुलाने वाला था कि अचानक आरोपी बाहर से ही स्कूटी पर आया व सीधे ही मेरे पास आकर स्कूटी रोकी, किन्तु उसे मेरे पर कोई शक हो गया हैं, इसलिए आज उसने मेरे से पैसों के बारे में कोई बात नहीं की एंव पैसे लेने से इन्कार कर दिया एंव मुझे कहा कि आप यहां क्यों आये हो, मैंने कहा कि कल आपसे फोन पर बात हुई थी, मेरे वो डिग्गी वाला काम था, तब जेईएन साहब ने कहा कि नियमानुसार होगा तो आपका काम हो जायेगा, मेरे पास आने की जरूरत नहीं हैं, जिस पर मैंने मेरी जेब की तरफ ईशारा करके कहा कि आपने जो पैसों का बोला था वो लेकर आया हूं, तब उसने कहा कि मैं कोई पैसे नहीं लेता हूं, आप यहां से दफा हो जाओ, इतना कहकर उसने स्कूटी खड़ी करके अपने क्वार्टर में जाकर दरवाजा बन्द कर लिया। मैं कुछ देर तक बाहर खड़ा रहा लेकिन वो वापस बाहर नहीं आया, मेरे रवाना होने तक क्वार्टर का दरवाजा बन्द ही था, अब ऐसा लगता हैं कि उसे मेरे द्वारा करवाई जा रही इस कार्यवाही के बारे में कोई शक हो गया हैं, इसलिए यह जेईएन मेरे से पैसे नहीं लेगा। जिस पर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को ऑन करके देखा गया तो टेप रिकॉर्डर के स्वीच ऑफ होने से उस समय की वार्ता रिकॉर्डिंग होना नहीं पाया गया। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में वार्ता रिकॉर्डिंग नहीं होने के संबध में पूछने पर परिवादी ने बताया कि आपके पास से रवाना होकर आरोपित श्री संतोषकुमार कनिष्ट अभियन्ता के राजकीय आवास की बावण्डरी में जाकर मोटर साईकिल खड़ी कर उसके क्वार्टर पर पंहुच उसे आवाज देने से पूर्व एक बार तसल्ली हेतु डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को जेब से निकालकर चैक करने लगा कि इतने में आरोपी अपनी स्कूटी पर बाहर से अचानक मेरे पास आकर रूका, कि इस दौरान हड़बड़ी में मैंने हाथ में लिये हुए डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को दबाकर वापस जेब में रखा था, हो सकता हैं कि उस दौरान यह स्वीच ऑफ हो गया हो, और कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई। जिस पर गोपनीयता की दृष्टि से उस स्थान को अविलम्ब छोड़ा जाना आवश्यक होने से परिवादी को उसकी मोटर साईकिल सहित ट्रेप दल से कुछ दूरी बनाते हुए पीछे पीछे आने की हिदायत कर मोहनगढ कस्बे से बाहर गोपनीय स्थान की तरफ रवाना होकर नियत स्थान पर पंहुचा, कुछ समय बाद पीछे-पीछे परिवादी श्री द्वारकेश भी अपनी निजी मोटर साईकिल से उपस्थित आया। श्री सुराब खां हैड कानि. के माध्यम से परिवादी के पहनी हुई पैण्ट के दांहिने साईड की जेब में रखवाई गई फिनोफ्थलीन पाउडरयुक्त समस्त रिश्वती राशि प्राप्त कर एक कागज के लिफाफे में रखवाकर ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखवाई गई। अब तक की कार्यवाही के संबध में उच्च अफसरान से हालात निवेदन किये गये, इस दौरान परिवादी ने बताया कि आरोपी के ऑफिस में एसीबी कार्यवाही की भनक लग चुकी हैं, अब आरोपी श्री संतोषकुमार जेईएन मेरे से रिश्वत राशि नहीं लेगा, मैंने बड़ी मेहनत से मेरी डिग्गियों की फाईल तैयार करके ऑफिस में पेश की थी, वो आरोपी कहीं गायब कर सकता हैं, जिस पर चूंकि अब आरोपी को भनक लगने से इस प्रकरण में अग्रिम लेन-देन कार्यवाही होना संभव नहीं हैं, लिहाजा उच्च अफसरान से एक बार पुनः हालात निवेदन कर आरोपी के पास जमा परिवादी के वर्क पैण्डेसी दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतियां आरोपित के कार्यालय से प्राप्त करने का निर्णय लिया गया, किन्तु इससे पूर्व आरोपी को एसीबी कार्यवाही की भनक लगने के संबध में एक बार पुनः गोपनीय रूप से तस्दीक करवाई गई तो आरोपी सहित उसके कार्यालय के अन्य कॉर्मिकों को भी परिवादी श्री द्वारकेश द्वारा करवाई जा रही कार्यवाही की भनक लगना पाया गया, जिससे अग्रिम रिश्वती राशि लेन-देन कार्यवाही किसी भी सूरत में होना संभव नहीं होने से परिवादी द्वारा आरोपित के कार्यालय में

अपनी पत्नि सहित अन्य परिजनों श्रीमति रम्भादेवी, श्री रमेश, श्री वीरमाराम व श्रीमति मीनाक्षी पत्नि श्री बाबूलाल के नाम से 8 सी.एच.एम. मोहनगढ में मुरब्बों पर डिग्गियां बनाने हेतु पूर्व में पेश पत्रावलियों की प्रमाणित फोटो प्रतियां संबधित कार्यालय से प्राप्त कर पेश करने हेतु हमराह जाब्ता के श्री मोहम्मद हनीफ एएसआई को निर्देशित कर परिवादी श्री द्वारकेश की निजी मोटर साईकिल से आरोपित के कार्यालय की तरफ रवाना किया जाकर परिवादी श्री द्वारकेश एवं आरोपी श्री संतोषकुमार कनिष्ट अभियन्ता के मध्य दिनांक 12.12.2024 को मोबाईल पर जरिये वॉट्सऐप कॉल (परिवादी के वॉट्सऐप नं. [redacted] से आरोपित के वॉट्सऐप नं. [redacted] पर) हुई रिश्वती राशि लेन-देन पूर्व वार्ता जो परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर श्री मिश्रीमल हैड कानि. के माध्यम से कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकार्डर में इंस्ट्रॉल मेमोरी कॉर्ड SANDISK 16 GB में रिकॉर्ड सुदा को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी श्री द्वारकेश के सुन-सुन कर शब्द-बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वती राशि लेन-देन पूर्व वार्तालाप मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री मिश्रीमल हैड कानि. नं. 38 व श्री कंवराराम कानि. नं. 37 के सहयोग से कार्यालय लेपटॉप से मुर्तिब की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो सीडी तैयार कर की गई। वार्ता के मूल मेमोरी कॉर्ड SANDISK 16 GB को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से बाहर निकालकर इसकी हस्ब कायदा हैश वैल्यु प्राप्त कर इसे एक कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर फर्द व थेली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मेमोरी कॉर्ड की सील्डयुक्त थेली पर मार्क "एल.पी." अंकित किया गया, एवं दोनों सीडी को डब मानते हुये खुला रखा गया। आरोपी व स्वयं के आवाज की पहचान परिवादी श्री द्वारकेश द्वारा की गई। तत्पश्चात श्री मोहम्मद हनीफ एएसआई जरिये परिवादी की निजी मोटर साईकिल के परिवादी से संबधित वर्ड पैण्डेसी पत्रावलियां प्राप्त करने हेतु आरोपित के कार्यालय की तरफ गया हुआ उपस्थिति आया व वांछित श्रीमति रम्भादेवी, श्री रमेश, श्री वीरमाराम व श्रीमति मीनाक्षी पत्नि श्री बाबूलाल के नाम से 8 सी.एच.एम. मोहनगढ में मुरब्बों पर डिग्गियां बनाने हेतु परिवादी द्वारा पूर्व में पेश पत्रावलियों की प्रमाणित फोटो प्रतियां पेश की, जिन्हें बाद अवलोकन इनके प्रथम व अन्तिम पृष्ठ पर परिवादी श्री द्वारकेश एंव दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री ऋषिकेश मीणा कनिष्ट वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत बी बाड़मेर व श्री भूपेन्द्रसिंह कनिष्ट वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत बी बाड़मेर के हस्ताक्षर करवाकर शामिल मिशल किया गया। ताबाद वहां कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से परिवादी की निजी मोटर साईकिल उसके माध्यम से ही कस्बा मोहनगढ में उसके परिचित को दिलवाकर मन् नरेन्द्रकुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ब्यूरो जाब्ता श्री मोहम्मद हनीफ ए.एस.आई., श्री सोहनराम हैड कानि. 33, श्री सुराब खां हैड कानि. 97, श्री मिश्रीमल हैड कानि. नं. 38, श्री अनूपसिह हैड कानि. 44, श्री बांकाराम कानि. नं. 584, श्री लालाराम कानि. 328, श्री रघुवीरसिंह कानि. नं. 143, श्री कंवराराम कानि. नं. 37, श्री मनोहर कानि. नं. 39, दोनांे स्वतन्त्र गवाहान श्री ऋषिकेश मीणा कनिष्ट वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत बी बाड़मेर व श्री भूपेन्द्रसिंह कनिष्ट वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत बी बाड़मेर एंव परिवादी श्री द्वारकेश के मोहनगढ सरहद से राजकीय वाहन बोलेरों नं. आर.जे. 14 यूसी 9364 चालक श्री पवनकुमार कानि. नं. 478 एवं प्राईवेट वाहन नं. आर.जे. 04, टीबी 5523 मय चालक श्री गंगाराम के प्रकरण हाजा की पत्रावली एंव संबधित अन्य दस्तावेजात, डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर, सील्ड युक्त मेमोरी कार्ड, डब सीडीज, लेपटॉप, प्रिन्टर, टे्रप बॉक्स मय रिश्वती राशि एवं अन्य आवश्यक सामग्री के मोहनगढ से रवाना होकर ब्यूरो चौकी बाड़मेर पंहुच सील्डयुक्त मेमोरी कार्ड, डब सीडीज एंव ट्रेप बॉक्स मय फिनोफ्थलीन पाउडरयुक्त रिश्वती राशि तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर इत्यादि मालखाना प्रभारी श्री सुराब खां हैड कानि. नं. 97 को सुपुर्द कर मालखाना में सुरक्षित रखवाये गये। परिवादी श्री द्वारकेश एंव दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री ऋषिकेश मीणा कनिष्ट वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत बी बाड़मेर व श्री भूपेन्द्रसिंह कनिष्ट वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत बी बाड़मेर को तलबी पर पुनः उपस्थित आने की हिदायत कर फॉरिक किया गया। इसी प्रकार प्राईवेट वाहन नं. आर.जे. 04, टीबी 5523 मय चालक श्री गंगाराम तथा ब्यूरो स्टाफ को भी फॉरिक किया गया। ताबाद अति-आवश्यक कार्यवश मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनांक 19.12.2024 तक अवकाश पर रहा। दिनांक 20.12.2024 को मन् नरेन्द्रकुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्वीकृत सुदा आकस्मिक अवकाश भुगतकर चौकी हाजा पर उपस्थित आया, प्रकरण हाजा में आरोपी श्री सन्तोषकुमार कनिष्ट अभियन्ता को परिवादी श्री द्वारकेश पर ए.सी.बी. में शिकायत कर कार्यवाही कराने का शक होने से अब अग्रिम रिश्वती राशि लेन-देन कार्यवाही होना संभव नहीं होने से उच्च अफसरान से हालात निवेदन कर इस स्तर पर कार्यवाही को बन्द करने का निर्णय लिया जाकर पूर्व में कार्यवाही हेतु जमा रिश्वती राशि परिवादी को पुनः सुपुर्द करने हेतु श्री मिश्रीमल हैड कानि. के माध्यम से जरिये मोबाईल तलब करवाने पर परिवादी दिनांक 24.12.2024 को ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया, व रिश्वती राशि प्राप्त करने हेतु एक प्रार्थना पत्र पेश करने पर श्री सुराब खां हैड कानि. प्रभारी मालखाना के माध्यम से ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखी रिश्वती राशि बाहर निकलवाई जाकर उस पर से फिनोफ्थलीन पाउडर हटाया जाकर परिवादी से प्राप्ति रसीद प्राप्त कर राशि पुनः सुपुर्द की गई। प्रकरण हाजा में अब तक की कार्यवाही से पाया कि राज्य सरकार की बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार जैसलमेर जिला इन्दिरा गांधी नगर परियोजना के अन्तिम छोर पर स्थित होने से अधिकांशतः पानी की बारी के दौरान किसानों को निर्धारित मात्रा से अत्यधिक कम जल उपलब्धता एंव अनिश्चिता रहती हैं, साथ ही इस नहर परियोजना के अन्य क्षेत्र स्टेज प्रथम एंव बीकानेर सम्भाग से जैसलमेर क्षेत्र की परिस्थिति (जलवायु) भिन्न रहती हैं, तथा रबी एंव खरीफ की शुरूआती बारी क्षेत्र में अत्यधिक तापमान होने से काश्तकारों द्वारा बोई गई फसल का सही से अंकुरण

नहीं हो पाता हैं, इसलिए काश्तकारों को अपने हिस्से का पानी भण्डारण कर मौसम अनुकूल होने पर फसल बोआई के उपयोग में लेने हेतु कम से कम दो मुरब्बों पर एक पक्की डिग्गी के निःशुल्क निर्माण का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया गया, इन निःशुल्क पक्की डिग्गियों का निर्माण इन्दिरा गांधी नहर परियोजना विभाग द्वारा करवाया जाता हैं। इसी के क्रम में आरोपी श्री सन्तोषकुमार कनिष्ट अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना विभाग मोहनगढ, जिला जैसलमेर द्वारा लोकसेवक होते हुए अपने पद् का दुरूपयोग कर भ्रष्ट व अवैध तरीके से परिवादी श्री द्वारकेश की पत्नि श्रीमति रम्भादेवी एंव अन्य परिजनों सगे भाई श्री रमेश, श्री वीरमाराम व भाभी मीनाक्षी पत्नि श्री बाबूलाल के नाम से 8 सी.एच.एम. मोहनगढ में आये हुए मुरब्बों पर 04 निःशुल्क डिग्गियों के निर्माण हेतु परिवादी द्वारा पेश पत्रावलियों में प्रति डिग्गी/पत्रावली 15,000 रू. की दर से कुल 60,000 रू. रिश्वत की मांग करना पाया जाने से आरोपित के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का जुर्म घटित होना प्रथम दृष्टिया प्रमाणित पाया गया है। दौराने कार्यवाही परिवादी द्वारा निःशुल्क डिग्गियों के निर्माण हेतु पेश चारों आवेदन पत्रावलियां आरोपित कनिष्ट अभियन्ता के पास विचाराधीन होना पाया गया। अतः आरोपी श्री संतोषकुमार पुत्र श्री बुन्देला चौहान, जाति चौहान, उम्र 30 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी ग्राम जलसार, पोस्ट धीरा, थाना हलसी, जिला लखीमसराय (811315), राज्य बिहार, हाल कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय सहायक अभियन्ता, उपखण्ड तृतीय (पीबीडी प्रथम) प्र.नि. टी.एम.सी. खण्ड इन्दिरा गांधी नहर परियोजना नाचना, मुख्यालय मोहनगढ, जिला जैसलमेर के विरूद्ध अन्तर्गत जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर क्रमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावें। भवदीय (नरेन्द्रकुमार) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर.............कार्यवाही पुलिस....................प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरेन्द्र कुमार ,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,बाड़मेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री संतोष कुमार पुत्र श्री बुन्देला चौहान, जाति चौहान, उम्र 30 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी ग्राम जलसार, पोस्ट धीरा, थाना हलसी, जिला लखीमसराय (811315), राज्य बिहार, हाल कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय सहायक अभियन्ता, उपखण्ड तृतीय (पीबीडी प्रथम) प्र.नि. टी.एम.सी. खण्ड इन्दिरा गांधी नहर परियोजना नाचना, मुख्यालय मोहनगढ, जिला जैसलमेर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री रामेश्वर लाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम रिपोर्ट 62 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 479–82 दिनांक 04.04.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर 2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर। 3-उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर, 4.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** RAMESHWAR LAL **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan.IN
Date: 04/04/2025 15:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	15/04/1994				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)